निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश

सं0 सं०–4बी / लिपिक–02–41 / 2026 पटना, दिनांक–

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, वैशाली का ज्ञापाक–572, दिनाक–30 06 2025 के द्वारा दिनाक–10 06 2025 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक मे लिये गये निर्णय के आलोक मे सिविल सर्जन, वैशाली का कार्यालय पत्राक–371, दिनाक–17 02 2026 के द्वारा प्राप्त अनुशसा के आधार पर वर्ग–3 (तृतीय वर्ग) समूह–"ग" (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर स्वीकृत वेतनमान् 5,200–20,200, ग्रेड पे–1,900 / –, लेवल–2 के साथ–साथ सरकार द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्तो क साथ अस्थायी एव औपबधिक रूप से निम्नाकित शर्तो के साथ अनुशसित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अकित स्वास्थ्य सस्थान मे तृतीय वर्ग समूह–"ग" (निम्नवर्गीय लिपिक) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है:–

क्रम स0	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी का नाम एव पता	मृतक सरकारी सेवक का नाम जिनके आश्रित पुत्र को नियुक्त किया गया है	पदनाम एव वेतनमान	पदस्थापित सस्थान का नाम
1	श्री मनीष कुमार, पिता–स्व0 सुशील कुमार, ग्राम–ग्यासपुर, वार्ड न0–05, पोस्ट–ग्यासपुर, थाना–पारू, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन कोड–843107	स्व0 सुशील कुमार, भूतपूर्व बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली	समूह–"ग" (वर्ग–3) (निम्नवर्गीय लिपिक) Pay Matrix Level-2 ग्रेड पे–1,900 / – वेतनमान–5200–20200	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहिउद्दिननगर समस्तीपुर

सबधित कर्मी को निदेशित है कि पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनो के अदर नव पदस्थापित सस्थान मे योगदान देना सुनिश्चित करे।

(1) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एव सत्यापन प्रपत्र मे अकित सूचनाओ को प्रथम दृष्टया सही मानकर एव पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा मे की जा रही है। सत्यापन के क्रम मे प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने / चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी सिविल सर्जन, समस्तीपुर की होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेगे।

(2) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी।

(3) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर उनके शैक्षणिक एव अन्य सगत प्रमाण पत्रो को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य मे शैक्षणिक प्रमाण पत्रो एव अन्य सगत प्रमाण पत्रो के गलत अथवा नियम विरूद्ध पाये जाने की स्थिति मे इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एव उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) सिविल सर्जन, समस्तीपुर की यह जवाबदेही होगी कि नवपदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिक से उनके शैक्षणिक व अन्य सगत प्रमाण पत्रो की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे तथा मूल प्रमाण पत्रो से मिलान कर सतुष्ट हो लेगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एव अन्य सगत प्रमाण पत्रो का सधारण करेगे तथा उक्त प्रमाण पत्रो का जॉच एव सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से अवगत करायेगे।

(5) बिहार पेशन (सशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिवादित वित्त विभाग, बिहार, पटना के सकल्प स0–1964, दिनाक–31.08 2005 एव 768, दिनाक–03 07 2007 के अनुसार प्राप्त निदेश के आलोक मे अभ्यर्थी पर नई अशदायी पेशन योजना से आच्छादित होगे।

(6) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

Santosh Sir Adesh205

(7) योगदान के समय नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(8) सिविल सर्जन, समस्तीपुर द्वारा विभाग से नियुक्ति आदेश संपुष्टि कराने के पश्चात् वेतनादि का भुगतान योगदान की तिथि से किया जायेगा।

(9) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक का प्रथम वेतनादि भुगतान उनके शैक्षणिक एव अन्य सगत प्रमाण पत्रो, पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आदि के अतिम जॉच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(10) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत सकल्प सख्या–1919, दिनाक–18 01 1976 के अनुपालन मे दहेज न लेने/न देने सबधी घोषण पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

ह0/–
(डॉ0 रेखा झा)
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

ज्ञापांक– 4बी/लिपिक–02–41/2026 419(4) स्वा0, पटना, दिनांक– 13/04/2026

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई–गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एव ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री मनीष कुमार, पिता–स्व0 सुशील कुमार, ग्राम– ग्यासपुर, वार्ड न0–05, पोस्ट– ग्यासपुर, थाना–पारू, जिला– मुजफ्फरपुर, पिन कोड–843107 को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सिविल सर्जन, वैशाली का पत्रांक–371, दिनाक–17 02 2026 के क्रम मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सिविल सर्जन, समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहिउद्दिननगर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अपर निदेशक, दरभगा प्रमण्डल, दरभगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, जहानाबाद को उनके ज्ञापाक– ज्ञापाक–572, दिनाक–30 06 2025 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

Santosh Sir Adesh206